प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 22.09.2021

लूट से संबंधित अभियुक्त जिसको पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त के निशानदेही पर लूट का 10,000 रूपया बरामद

थाना रामगढताल पर पंजीकृत मु030सं0- 336/2021 धारा 392/411 भादिव से संबंधित लूट की घटना जो दिनांक 16.08.2021 को एसबीआई बैंक, बुद्ध बिहार तारामण्डल के पास घटित हुई थी जिसमें अभियुक्त गण द्वारा कलेक्सन एजेन्ट के आँख में मिर्च पाऊडर फेककर 5,28,000 रूपये की लूट की गयी थी। उपरोक्त घटना से संबंधित अभियुक्त गोबिन्द यादव पुत्र सीताराम यादव वर्तमान निवासी ग्राम सेन्दुली बेन्दुली डोमवा ढाला थाना रामगढताल गोरखपुर, गोरखपुर न्यायालय में हाजिर हो गया था, जिसे आज दिनांक 22.09.2021 को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में प्रभारी निरीक्षक जगत नरायन सिंह द्वारा लिया गया। अभियुक्त गोबिन्द उपरोक्त के निशानदेही पर चिड़ियाघर बाउण्ड्री के उत्तर, नीम के पेड़ के किनारे ईट के नीचे से उसके हिस्से का शेष 10,000 रूपया बरामद कराया गया, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

गोबिन्द यादव पुत्र सीताराम यादव वर्तमान निवासी ग्राम सेन्दुली बेन्दुली डोमवा ढाला थाना रामगढताल गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0 सं0- 336/2021 धारा 392/411 भादवि

बरागदगी का विवरण

दस हजार रूपये (10,000 रूपये)

बरामदगी स्थान, दिनांक व समय

चिड़ियाघर बाउण्ड्री के उत्तर, नीम के पेड़ के किनारे, ईंट के नीचे से आज दिनांक 22.09.2021 को समय करीब 12.10 बजे।

बरामदगी टीम-

- 1. प्रभारी निरीक्षक जगत नरायन सिंह, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर।
- 2. उ0नि0 अक्षय कुमार मिश्रा
- 2. का० प्रवीण कुमार पाण्डेय
- 3. का0 सचिन कुमार